उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–03
संख्या: 1538/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024
देहरादून: दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (T) में नगर पालिकाओं में स्थानों के आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान है :–

(1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगें और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चकानुकम से आंबटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जैसा कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

(5) खंड (1) और (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण तथा खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (महिलाओं के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए के नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष मे किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पदो के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी।

2– मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–278/2022 सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–10.05.2022 के अनुपालन में राज्य के भीतर प्रति स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामायिक कठोर

अनुभवजन्य जांच हेतु श्री बी0एस0 वर्मा, सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की संस्तुतियों के आलोक में तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 9क की उपधारा (5) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2024, भारत के संविधान की संगत धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगर पंचायतों में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु अध्यक्ष पदों का आरक्षण एवं आवंटन किये जाने के उद्देश्य से पूर्व प्रकाशित प्रारूप/अधिसूचना संख्या–1497/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024, दिनांक–14.12.2024 के क्रम में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को आदेश संख्या–1534/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024, दिनांक 22.12.2024 द्वारा निस्तारित किये जाने के उपरान्त नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों का निम्नवत आरक्षण एवं आवंटन निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :–

नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों का आरक्षण एवं आवंटन

क्र0सं0	नगर पंचायत का नाम	अध्यक्ष पद का आरक्षण/आवंटन
1.	नगर पंचायत, सेलाकुई	अन्य पिछड़ी जाति
2.	नगर पंचायत, झबरेडा	अनारक्षित
3.	नगर पंचायत, लण्ढौरा	अन्य पिछड़ी जाति
4.	नगर पंचायत, भगवानपुर	अनारक्षित
5.	नगर पंचायत, पिरान कलियर	महिला
6.	नगर पंचायत, ढण्डेरा	अनारक्षित
7.	नगर पंचायत, इमलीखेडा	अन्य पिछड़ी जाति
8.	नगर पंचायत, पाडली गुज्जर	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
9.	नगर पंचायत, रामपुर	अन्य पिछड़ी जाति
10.	नगर पंचायत, सुल्तानपुर–आदमपुर	अन्य पिछड़ी जाति
11.	नगर पंचायत, नौगांव	अनुसूचित जाति
12.	नगर पंचायत, नन्दप्रयाग	अनारक्षित
13.	नगर पंचायत, पोखरी	अनुसूचित जाति
14.	नगर पंचायत, गैरसैंण	अनारक्षित
15.	नगर पंचायत, थराली	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
16.	नगर पंचायत, पीपलकोटी	महिला
17.	नगर पंचायत, नन्दानगर	महिला
18.	नगर पंचायत, कीर्तिनगर	अनारक्षित
19.	नगर पंचायत, घनसाली	अनारक्षित
20.	नगर पंचायत, गजा	अनारक्षित

8

21.	नगर पंचायत, लम्बगांव	अनारक्षित
22.	नगर पंचायत, चमियाला	अनारक्षित
23.	नगर पंचायत, तपोवन	महिला
24.	नगर पंचायत, अगत्स्यमुनि	अन्य पिछड़ी जाति
25.	नगर पंचायत, ऊखीमठ	महिला
26.	नगर पंचायत, तिलवाड़ा	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
27.	नगर पंचायत, गुप्तकाशी	अनुसूचित जाति (महिला)
28.	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम	महिला
29.	नगर पंचायत, सतपुली	अनारक्षित
30.	नगर पंचायत, थलीसैंण	महिला
31.	नगर पंचायत, बनबसा	अनुसूचित जाति
32.	नगर पंचायत, द्वाराहाट	अनुसूचित जाति (महिला)
33.	नगर पंचायत, भिकियासैंण	अनारक्षित
34.	नगर पंचायत, चौखुटिया	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
35.	नगर पंचायत, कपकोट	महिला
36.	नगर पंचायत, गरूड़	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
37.	नगर पंचायत, मुनस्यारी	अनुसूचित जनजाति
38.	नगर पंचायत, लालकुंआ	अन्य पिछड़ी जाति
39.	नगर पंचायत, महुआडाबरा	अनुसूचित जाति
40.	नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्‌टी	अनारक्षित
41.	नगर पंचायत, केलाखेड़ा	अन्य पिछड़ी जाति
42.	नगर पंचायत, दिनेशपुर	अन्य पिछड़ी जाति
43.	नगर पंचायत, शक्तिगढ़	अनारक्षित
44.	नगर पंचायत, नानकमत्ता	अन्य पिछड़ी जाति
45.	नगर पंचायत, गुलरभोज	अनारक्षित
46.	नगर पंचायत, लालपुर	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)

(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः 1538 (1)/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्याः 1538 (2)/IV(3)/2024–11(3 निर्वा0)/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
7. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पंचायत, उत्तराखण्ड (द्वारा शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।